न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 111/2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. अशोककुमार पुत्र मूलाराम वयस्क जातियान रावणा राजपूत 2. नेमीचन्द पुत्र मदरूपाराम वयस्क 3. पारसमल पुत्र मदरूपाराम वयस्क 4. मुंगीदेवी पुत्री मदरूपाराम वयस्क 5. मुलीदेवी पुत्री मदरूपाराम वयस्क 6. मीरोदेवी पुत्री मदरूपाराम वयस्क 7. तारोदेवी पुत्री मदरूपाराम वयस्क 8. धनीदेवी पत्नि मदरूपाराम वयस्क जातियान घांची निवासीयान पायला कल्ला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. भलसिंह पुत्र जेतुसिंह वयस्क 2. राणीदेवी पुत्री जेतुसिंह वयस्क 3. डुंगराराम पुत्र बाबुराम उर्फ बाबुसिंह 4. महेन्द्रकुमार पुत्र बाबुराम उर्फ बाबुसिंह 5. विकाशकुमार पुत्र बाबुराम उर्फ दाबुसिंह 6. डिम्पलकंवर पुत्री बाबुराम उर्फ दादुसिंह 7. रेखाकंवर पुत्री बादुराम उर्फ बाबुसिंह 8. दरियादेवी पत्नि बाबुराम उर्फ बाबुसिंध 9. शेतानसिंह पुत्र चिगनाजी वयस्क 10. नरपतसिंह पुत्र चिमनाजी वयस्क 11. मूलसिंह पुत्र चिमनाजी वयस्क 12. नरींगाराम पुत्र स्वामीजी वयस्क 13. नवाराम पुत्र स्वामीजी वयस्क जातियान रावणा राजपूत निवासीयान पायला कल्ला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 14. मेघाराम दतक पुत्र वगताराम वयस्क 15. गुमनाराम पुत्र केशराराम वयस्क 16. तेजाराम पुत्र केशराराम वयस्क 17. भीखाराम पुत्र केशराराम वयस्क 18. दीपाराम पुत्र सोनाराम वयस्क 19. पारसराम पुत्र वागाराम वयस्क 20. रमेशकुमार पुत्र वागाराम वयस्क 21. जितेन्द्रकुमार पुत्र वागाराम वयस्क 22. कालीदेवी पत्नि वागाराम वयस्क जातियान घांची निवासीयान पायला कल्ला तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 23. सोहनलाल पुत्र धर्माराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान आडेल तहसील चौखड़ा जिला बाड़मेर। 24. तहसी[illegible]री जिला बालोतरा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:25:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 15.10.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला कला के ग्राम पायला कला के खेत खसरा संख्या 539/1 रकबा 1.8364 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला कला ग्राम पायला कला के खेत खसरा संख्या 539/1 रकबा 1.8364 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला कला के ग्राम पायला कला के खेत खसरा संख्या 539/1 रकबा 1.8364 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला कला के ग्राम पायला कला के खेत खसरा संख्या 539/1 रकबा 1.8364 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:25:22 IST
Reason: SelfAttested

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रा[illegible] उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापू[illegible] के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पा[illegible] पायला कला के ग्राम पायला कला के खेत खसरा संख्या 539/1 रकबा [illegible]8364 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल पायला कला के ग्राम पायला कला के खेत खसरा संख्या 539/1 रकबा 1.8364 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 15.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:25:22 IST
Reason: SelfAttested